

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-7/2016/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल, 2017

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,  
डुसमस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।

विषय- सायबर कोषालय के तहत चालान जमा करने एवं रिफण्ड करने की प्रक्रिया ।  
संदर्भ- वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ 11-7/नियम/चार, दिनांक 31-1-2017.

—•••—


संदर्भित परिपत्र द्वारा सायबर कोषालय के माध्यम से राशि जमा करने/रिफण्ड करने संबंधी जारी निर्देशों में 01 सितम्बर 2016 के पश्चात रूपये 10,000/- से अधिक की राशियों को भौतिक चालान से जमा करने की प्रक्रिया को समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31 जनवरी 2017 तक के लिए स्थगित रखा गया था ।

2/ उपर्युक्त संबंध में अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि कैशलेस विभाग की अवधारणा को संपूर्णतः लागू करने हेतु जारी कार्यवाही पूर्ण होने में जून माह तक का समय लगेगा ।

3/ उपर्युक्त स्थिति को विचार में लेते हुए संदर्भित परिपत्र की प्रक्रिया को दिनांक 30 जून, 2017 तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

  
(अनिरुद्ध मुकुर्जी)  
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग  
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल, 2017

पं.क्रं. : एफ 11-7/2016/नियम/चार  
प्रतिलिपि,

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
3. आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
4. उप महाप्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया मध्यप्रदेश भोपाल
5. उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक म.प्र. भोपाल।
6. उप महाप्रबंधक इलाहाबाद बैंक मध्यप्रदेश भोपाल
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
8. समस्त कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।

  
(अनिरुद्ध मुकुर्जी)  
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग